

तारीख  
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इन्शियल्स जज

15 <sup>03</sup>/<sub>22</sub>

पतावली प्रस्तावणी प्रतीवादी लव 6 को  
आपान लवादी को कोर्ट हाजिर नही  
इसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश जारी  
करा जायी है पतावली आदेश लव 6 को  
दिनांक 12/03/22 को प्रस्तावणी

उपखण्ड अधिकारी, चिडवा

29 <sup>03</sup>/<sub>22</sub>

पतावली प्रस्तावणी पतावली पर लव 6 सुनि गरी  
आदेश आदेश है दिनांक 22/04/22 को प्रस्तावणी

उप खण्ड अधिकारी  
चिडवा जिला न्यायालय (राज)

22 <sup>04</sup>/<sub>22</sub>

पतावली प्रस्तावणी पतावली में आदेश दिया जाया है  
आदेश में आवेदन दादा आदील में ग्राम खपरा  
नं 119 खपरा 1.55 है जमीन जिसके आदीलखान  
के पिता का नं 8 है दिला था 9/12/18 को  
आदेश सम्पत्ती की जो दिनांक 20-09-1993 के  
विष्णुपत्र से रामकुमार पुत्र चट्टाराम जावि  
शुद्धमण गिपानी नरहर से कृष्ण की की आदीलख  
का पिता वंजरमलल को आदेश लव 6 खपरा नं  
119 खपरा 1.55 है के दिला नं 8 की वहीपत्र  
आदीलख के पक्ष में दिनांक 12-10-18 को  
निष्पादित करवाकर गवाह विजय व अचलसिंह  
की उपस्थिती में उपपदित्र चिडवा के समक्ष  
सही होना मानकर पंजिबंद करवाई की।

अह की आदीलख के पिता का देहावद  
दिनांक 15/04/19 को हो गया आदीलख के पिता  
का देहावद हो जाने पर उसके वारिस मूलक की

उप खण्ड अधिकारी  
चिडवा जिला न्यायालय

श्री जमीने में उत्तराखीकार के आधार पर  
श्री जमीने में वहीत वाली जमीन का श्री  
उत्तराखीकार के आधार पर श्री वारीसन  
के नाम दर्ज कर दिया। जो प्लाटों के जानकार  
होके पर प्लाटिंगा पत्र पेश किया। अतः अपील  
के तथ्य व दस्तावेजों का विपरीत किताब  
अपन बंद करके उपरोक्त द्वारा आदेश दिया  
जाए। श्री अपीलार की अपील स्वीकार  
की जाती है। सामान्यतः 210 3028 रुक  
1255 की क्रम संख्या नं 119 रजका 1-53  
है कि 1/8 हिस्से को निरस्त किया जाकर  
राहनीलदार विप्राय को आदेश दिये जाते हैं  
की वह अपीलार के पक्ष हुई वहीत दिनांक  
12/10/2018 के आधार पर सामान्यतः दर्ज  
करके को आदेश दिये जाते हैं। श्री अपीलार  
रजका 119 रजका 1-53 का अंश दर्शा कर  
पत्रापत्री फाइल नं 119 रजका 1-53 के काम  
की अपील दाखिल कराए।

उप खण्ड अधिवक्ता  
चिडावा जिला मुन्सिफ (जज.)